पत्रांक –3/एम०–26/2020सा0प्र0 1659 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 5-2- 2021

विषय– सरकारी सेवक के विरुद्ध संचयात्मक/असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ अवरुद्ध किये जाने के दण्ड के कार्यान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध एक से अधिक भिन्न मामलों में अधिरोपित संचयात्मक/असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ अवरुद्ध किये जाने के दंडादेशों का प्रभाव साथ–साथ होगा अथवा प्रथम दंडादेश के कुप्रभाव की समाप्ति के पश्चात् दूसरे दंडादेश का कुप्रभाव प्रारंभ होगा– इससे संबंधित स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना विचाराधीन था।

2. उल्लेखनीय है कि विचाराधीन मामले के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है और इस संदर्भ में अलग से कोई स्पष्टीकरण भी निर्गत नहीं है। परन्तु The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 के प्रावधानों के संदर्भ में महानिदेशक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण के पत्रांक–230/308/75–Disc.II दिनांक–03.05.1976 द्वारा उपर्युक्त परिस्थिति के लिए निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है–

> "..... where the disciplinary authority imposed penalties of stoppage of increment one after the other in separate cases on the Government Servant, the effect of the first punishment order of stoppage of increment will continue for the period specified in the punishment order. Thereafter, the pay of the Government Servant will be raised by giving him increments which, but for the imposition of the penalty, would have been admissible to him and only then the second order of stoppage of increment will be made effective which will continue for the period specified in the second punishment order of stoppage of increment and so on."

3. उपर्युक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि जहाँ किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध एक से अधिक भिन्न मामलों में अधिरोपित संचयात्मक/असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ अवरुद्ध किये जाने का दंडादेश अधिरोपित किया गया हो, वहाँ–

(i) सर्वप्रथम पहले दण्डादेश का प्रभाव दण्डादेश में निर्धारित अवधि तक रहेगा;

(ii) तदुपरान्त अधिरोपित दण्ड के अनुरूप अनुमान्य वेतनवृद्धि देते हुए सरकारी सेवक का वेतन उत्क्रमित किया जायेगा; एवं

(iii) तदुपरान्त अगले दण्डादेश का प्रभाव प्रारम्भ होगा।

4. वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध एक से अधिक भिन्न मामलों में संचयात्मक/असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ अवरुद्ध किये जाने का दण्डादेश अधिरोपित किये जाने की स्थिति में भी उपर्युक्त कंडिका–3 में वर्णित प्रावधानानुसार दण्ड का प्रभाव होगा।

5. अतः अनुरोध है कि वर्णित प्रावधान से अपने अधीनस्थों को अवगत कराने की कृपा की जाय तथा उक्त प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

5/4/11

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।